

Appendix VII

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. LSG/BHILWARA/FIRENOC/2024-25/40758

Dated:- 22.01.2025

Certified that the A.V.S. PUBLIC SCHOOL, BIJOLIYA (name of the building or premises) at Shree Jain Teerth Kshetra, Bijoliya, Bhilwara (address) comprised of basement(s) and^{1st} (upper floors) owned/occupied by A.V.S. PUBLIC SCHOOL, BIJOLIYA (name of the Institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 22.01.2025 (date of inspection) in the presence of (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy class Nursery To XII with effect from 23.01.2025 for a period of 22.01.2026 .. years in accordance with rule and subject to compliance of the conditions.

Issued on 22.01.2025 at Bijoliya by

* Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal : CHHOTU RAM

Name

: CHHOTU RAM

Designation

: Assistant Fire Officer

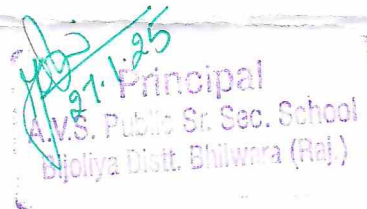
To

A.V.S. PUBLIC SCHOOL

Jain Teerth Kshetra

Bijoliya - Bhilwara

(Name & Address of the Institution)



ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled and annulled due to (reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

नगर परिषद, भीलवाडा

(राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा के अन्तर्गत)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

आवेदन नं.: LSG/BHILWARA/FIRENOC/2024-25/40758
जारी दिनांक: 23-JAN-2025 वैधता दिनांक: 22-JAN-2026

प्रेषित-

आवेदक का नाम श्री/श्रीमती: AVS PUBLIC SCHOOL BIJOLIYA
आवेदक का पता: BIJOLIYA

विषय:- अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत

आपके भवन AVS PUBLIC SCHOOL, 0, JAIN TEERTH KSHETRA, BIJOLIYA, BHILWARA, BHILWARA, RAJASTHAN का निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्नि सुरक्षा उपकरण सही पाए गए अतः उपरोक्त सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबंद करते हुए यह स्थाई (Permanent) अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

शर्त:-

1. फायर वाहन आसानी से आ जा सके इसके लिए पर्याप्त खुला स्थान अवरोध रहित रखना होगा।
2. अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि हेतु ही मान्य होगा। एक वर्ष बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण किया जाना आवश्यक होगा, अन्यथा अनापत्ति स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
3. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
4. अग्निशमन उपकरण समयावधि में रीफिल कराना होगा।
5. यदि राज्य सरकार या निगम द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
6. भवन का मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत नहीं पाए जाने की स्थिति में यह अभिशप्ता पत्र निरस्त माना जाएगा।
7. पानी के टैंक हर समय भरे रखने होंगे व पम्प व पूरा फायर सिस्टम 24 घण्टे कार्यशील स्थिति में रखने को बाध्य होंगे।
8. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24 घण्टे फायर प्रशिक्षित कर्मचारी रखने होंगे तथा ए एम सी करवायी जाकर सिस्टम का रख रखाव व संचालन करना अनिवार्य होगा।
9. भवन के अंदर किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ व अति ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखा जावे।
10. रोप लेडर व दो रस्सा भवन के सभी टावर में टावर की उंचाई जितना हर समय भवन में रखना होगा।
11. यह अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि से ही मान्य होगा।
12. भूमि व भवन संबंधित किसी भी प्रकार के विवाद हेतु यह पत्र बतौर साक्ष्य मान्य नहीं होगा एवं इस बाबत आवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
13. यह अनापत्ति प्रमाण पत्र रूफटॉप रेस्टोरेट के लिए मान्य नहीं है। जिस भाग के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जा रहा है वहां पर रूफटॉप रेस्टोरेट का संचालन पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा।
14. भवन के समस्त स्टाफ व सिविलोरेटी गार्ड्स को वर्ष में कम से कम दो बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।



Signed by: Hema Ram
Issuing Authority: DC/EO/Commissioner
Location: BHILWARA, Rajasthan
Date: 23/01/2025 20:13:36

अग्निशमन अधिकारी
नगर परिषद, भीलवाडा